



राजस्थान सरकार
हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान
H.C.M. Rajasthan State Institute of Public Administration
Jawahar Lal Nehru Marg, Jaipur-302 017 □ Rajasthan □ India



क्रमांक : प.11(11)/रीपा/परीक्षा/संस्थानिक/RAcS(P)/P-II/2025/ 7769

दिनांक : 03/07/2025

कार्यालय-आदेश

संस्थान रीपा, जयपुर द्वारा दिनांक 08.07.2025 से 10.07.2025 की अवधि में आयोजित की जाने वाली राजस्थान लेखा सेवा (बैच-2024) के प्रशिक्षु अधिकारियों की संस्थानिक परीक्षा (Phase-II) में निम्न अधिकारियों को बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं परीक्षा के रोल नम्बर निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

Roll No.	Name of Examinee
01	ABID ALI MANSOORI
02	ADITI SUROLIA
03	ANKITA CHOBDAR
04	ANUSHA JAIN
05	BHASKAR SHARMA
06	BINDIYA
07	CHANAN SINGH INDA
08	CHANDRAPRAKASH CHOUHAN
09	DEEPAK GAUR
10	HEMRAJ MEENA
11	JATIN MANOJ SAMARIYA
12	KIRAN MEENA
13	LOKESH KUMAR VERMA
14	MANISH MEENA
15	MONIKA SONIA
16	NARSI RAM BISHNOI
17	NEELAM GOSWAMI
18	NEHA BHOJWANI
19	OM PRAKASH
20	PRAMOD KUMAR GURJAR
21	PRAVEEN SINGH
22	PRIYANKA BANSIWAL
23	RACHNA BISHNOI
24	RAHUL GODARA
25	RAVINDRA PAL VISHNOI
26	RITU BHOJWANI
27	SANJU SARWA
28	SEEMA MEENA
29	SHITAL CHAUDHARY
30	SUMAN KUMARI
31	VIJAY KUMAR
32	VIJAYSHREE KANWAR

परीक्षा कार्यक्रम			
दिनांक	समय	प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र का नाम/विषय
08.07.2025	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक	I	Service Rules
	दोपहर 02:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक	II	Financial and Accounts Rules
09.07.2025	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक	III	Treasury Rules and Budget Manual
	दोपहर 02:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक	IV	Commercial Accounts, RTPP Act and Rules, Store
10.07.2025	प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 01:00 बजे तक	V	Public Works Accounts Rules
	दोपहर 02:30 बजे से सायं 05:30 बजे तक	VI	Financial Management

परीक्षा केन्द्र/स्थल : एच.सी.एम. रीपा, जयपुर		
क्र. सं.	परीक्षा कक्ष/हॉल का नाम	भवन का नाम
1	संबोधि	कृष्णपुरी भवन

परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

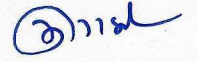
- 1 प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा-कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
- 2 परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 3 Bare Act/Manual के अतिरिक्त अन्य कोई अनुचित सामग्री परीक्षा-कक्ष में अनुमत नहीं होगी।
- 4 व्याख्याओं सहित अधिनियमों, मोनोग्राफ एवं नियमावलियों से सम्बन्धित प्रतियाँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- 5 परीक्षार्थी द्वारा किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग वर्जित है तथा दण्डनीय है। परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व बैग वर्जित है।
- 6 परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान चाय व पान आदि का प्रयोग अनुमत नहीं है।
- 7 परीक्षा-कक्ष में बैठने के दौरान परीक्षार्थियों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी होगी।
- 8 परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थान को भली भांति देख ले कि वहाँ कोई पुस्तक, पर्चा, अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह परीक्षा निरीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस संबंध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
- 9 परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न ही अपने पत्रों की नकल करने देगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।
- 10 परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।
- 11 परीक्षा-कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका परीक्षा निरीक्षक को सम्भला दें, तत्पश्चात परीक्षा निरीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़ें।
- 12 संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध संस्थान जो भी उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।



(डॉ. मीनाक्षी खंगारोत)
एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)

क्रमांक : प.11(11)/रीपा/परीक्षा/संस्थानिक/RAcS(P)/P-II/2025/ 7770-79 दिनांक : 03/07/2025
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अतिरिक्त निजी सचिव, महानिदेशक, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
2. निजी सहायक ग्रेड-I, अतिरिक्त निदेशक (लेखा) एवं पाठ्यक्रम निदेशक, (संस्थानिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण RAcS बैच-2024), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
3. निजी सहायक ग्रेड-II, अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन) एच. सी. एम. रीपा, जयपुर।
4. उप निदेशक (प्रशासन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों को परीक्षा-कक्ष में पानी पिलाने व अन्य कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की व्यवस्था करावें।
5. प्रभारी अधिकारी (T&P), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी (परिसर-कृष्णपुरी भवन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को प्रति भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षा-कक्ष की साफ-सफाई एवं बैठने की उचित व्यवस्था कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करावें।
7. प्रभारी अधिकारी (संस्थानिक पाठ्यक्रम प्रशिक्षण RAcS-बैच 2024), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।
8. ए.सी.पी. (उप निदेशक), कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
9. नोटिस बोर्ड (नेहरू भवन/कृष्णपुरी भवन/विश्रांति)
10. रक्षित पत्रावली।



एसोसिएट प्रोफेसर (समाजशास्त्र) एवं
प्रभारी अधिकारी (परीक्षा)